# मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

## संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत

## पुरातत्ववेत्ता, संग्रहाध्यक्ष तथा वैज्ञानिक अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

| | | |
|---|---|---|
| **विज्ञापन क्रमांक 04/2017/ 31.07.2017**<br>**संस्कृति विभाग, मंत्रालय,**<br>**मध्य प्रदेश शासन** | ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.09.2017 | आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि **21.09.2017** |

### महत्वपूर्ण

1- **मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग हेतु पुरातत्ववेत्ता, संग्रहाध्यक्ष तथा वैज्ञानिक अधिकारी के क्रमश: 3, 6 तथा 1 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-**

<u>1. पुरातत्ववेत्ता तथा संग्रहाध्यक्ष हेतु :-</u>

**अनिवार्य अर्हता**

**(अ) अनुसूचित जनजाति हेतु:-**

शैक्षणिक :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में एम.ए. की उपाधि।

अनुभव : संग्रहालय तथा पुरातत्व के क्षेत्र में अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्राथमिकता से तात्पर्य :- अंतिम चयन मे समान अंक होने पर अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी का पहले चयन किया जाएगा

**(ब) अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) श्रेणी हेतु :-**

शैक्षणिक :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम.ए. या उसके समतुल्य बी.ए. आनर्स उपाधि। माध्यमिक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में।

अनुभव:- संग्रहालय तथा पुरातत्व के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव।

**वांछनीय अर्हता**

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुरातत्व में पत्रोपाधि तथा इस विषय में अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में अनुसंधान कार्य।

वांछनीय अर्हता से तात्पर्य :- प्रथमत: वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर ही वांछनीय अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा।

**2. वैज्ञानिक अधिकारी हेतु**

**अनिवार्य अर्हता**

शैक्षणिक

(क) रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य कोई अन्य उपाधि।

(ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था में से पुरालेख संरक्षण में प्रशिक्षित।

**वांछनीय अर्हता:-**

अभिलेखागार विभाग में अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण का 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय अर्हता से तात्पर्य :- प्रथमत: वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर ही वांछनीय अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा।

2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे। आवेदन पत्र दिनांक **10.08.2017** (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक **09.09.2017** (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते है ।

3- आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र मे उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें की शुल्क भुगतान हो गया है। उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक (आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करें । जिन आवेदकों के अभिप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2017 को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय को प्राप्त नहीं होंगे उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी एवं इस सन्दर्भ मे कोई पत्र व्यवहार नही किया जाएगा । डाक आदि के विलंब हेतु आयोग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आवेदन पत्र भरने तथा प्रेषित करने के संदर्भ मे विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन पत्र तथा अभिलेख आयोग को प्रेषित करें।

4- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक 16.08.2017 से दिनांक 11.09.2017 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते है । त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।

5- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर तथा आधार नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करे ।

6- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

| क्र. | पदनाम | कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या | | | | रिक्तियों मे से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | कुल पद | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UR | SC | ST | OBC | UR | SC | ST | OBC | | |
| **राजपत्रित द्वितीय श्रेणी** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **पुरातत्ववेत्ता (Archaeologist)** | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे |
| 2 | **संग्रहाध्यक्ष (Curator)** | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे |
| 2 | **वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific Officer)** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे |
| Abbriviations: UR- अनारक्षित, SC-अनुसूचित जाति, ST-अनुसूचित जनजाति, OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) | | | | | | | | | | | |
| **प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन भरें** | | | | | | | | | | | |

दो **पद का विवरण**

| 01 | **पद का नाम** | : | **पुरातत्ववेत्ता (Archaeologist)** |
|---|---|---|---|
| | **विभाग का नाम** | : | संस्कृति विभाग |
| | **श्रेणी** | : | राजपत्रित द्वितीय श्रेणी |
| | **पद स्थिति** | : | अस्थायी |
| | **वेतनमान** | : | रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें। |
| | **पद के मुख्य कर्तव्य** | : | शासन के निर्देशानुसार स्मारकों/ संग्रहालयों में प्रदर्शित पुरासंपदा का अनुरक्षण, संरक्षण, प्रदर्शन संबंधी कार्य। |

| 01 | **पद का नाम** | : | **संग्रहाध्यक्ष (Curator)** |
|---|---|---|---|
| | **विभाग का नाम** | : | संस्कृति विभाग |
| | **श्रेणी** | : | राजपत्रित द्वितीय श्रेणी |
| | **पद स्थिति** | : | अस्थायी |
| | **वेतनमान** | : | रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें। |
| | **पद के मुख्य कर्तव्य** | : | शासन के निर्देशानुसार स्मारकों/ संग्रहालयों में प्रदर्शित पुरासंपदा का अनुरक्षण, संरक्षण, प्रदर्शन संबंधी कार्य। |

| 01 | **पद का नाम** | : | **वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific Officer)** |
|---|---|---|---|
| | **विभाग का नाम** | : | संस्कृति विभाग |
| | **श्रेणी** | : | राजपत्रित द्वितीय श्रेणी |
| | **पद स्थिति** | : | अस्थायी |
| | **वेतनमान** | : | रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें। |
| | पद के मुख्य कर्तव्य | : | अभिलेखों, एवं पुस्तकों के वैज्ञानिक तरीके से दुरुस्तीकरण, संवर्धन, संरक्षण, अभिलेखों की माइक्रोफ़िल्मिंग एवं डिजिटलाइजेशन कार्य |

तीन **शैक्षणिक अर्हता** :

**1. पुरातत्ववेत्ता तथा संग्रहाध्यक्ष हेतु :-**

**अनिवार्य अर्हता**

**(अ) अनुसूचित जनजाति हेतु:-**

शैक्षणिक :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में एम.ए. की उपाधि।

अनुभव : संग्रहालय तथा पुरातत्व के क्षेत्र में अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्राथमिकता से तात्पर्य :- अंतिम चयन मे समान अंक होने पर अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी का पहले चयन किया जाएगा

**(ब) अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) श्रेणी हेतु :-**

शैक्षणिक :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम.ए. या उसके समतुल्य बी.ए. आनर्स उपाधि। माध्यमिक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में।

अनुभव:- संग्रहालय तथा पुरातत्व के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव।

**वांछनीय अर्हता**

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुरातत्व में पत्रोपाधि तथा इस विषय में अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में अनुसंधान कार्य।

वांछनीय अर्हता से तात्पर्य :- प्रथमत: वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर ही वांछनीय अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा।

**2. वैज्ञानिक अधिकारी हेतु**

**अनिवार्य अर्हता**

शैक्षणिक

(क) रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य कोई अन्य उपाधि।

(ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था में से पुरालेख संरक्षण में प्रशिक्षित।

**वांछनीय अर्हता:-**

अभिलेखागार विभाग में अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण का 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय अर्हता से तात्पर्य :- प्रथमत: वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर ही वांछनीय अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा।

**टीप-** (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति मे ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुये पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(4) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के रूप में मान्य है, आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमी लेयर में नहीं आते।

(6) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

(7) जिन पदों में किसी आरक्षित श्रेणी हेतु पद आरक्षित नही है उन पदों में उस आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु विचारित किया जाएगा तथा उन्हें संबन्धित श्रेणी को देय आयु सीमा की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के संदर्भ में स्थिति निम्नानुसार है :-

| पद का नाम | उन श्रेणियों का विवरण जिनमें पद आरक्षित नहीं है |
|---|---|
| पुरातत्ववेत्ता | अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) |
| संग्रहाध्यक्ष | अनुसूचित जाति |
| वैज्ञानिक अधिकारी | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) |
| टीप:- उपरोक्त सभी पदों को निःशक्तजन आरक्षण से छूट प्राप्त है। अतः उक्त पदों हेतु किसी भी निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। | |

(8) मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2018

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट -1** देखें।

आठ अधिवार्षिकी आयु :- **60 वर्ष**

नौ चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा । पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा :-

| पद का नाम | उन श्रेणियों का विवरण जिनमें पद आरक्षित नहीं है |
|---|---|
| पुरातत्ववेत्ता | 20 अभ्यर्थी तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी |
| संग्रहाध्यक्ष | 6 गुना अभ्यर्थी तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी |
| वैज्ञानिक अधिकारी | 10 अभ्यर्थी तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी |

साक्षात्कार हेतु उपरोक्तानुसार अर्हता सूची में सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो अनिवार्य अर्हता तथा वांछनीय अर्हता दोनों रखते है। यदि दोनों अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तब उक्त सूची में केवल अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी । साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा । अनारक्षित श्रेणी हेतु 41% तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे ।

**टीपः-**

(1) किसी पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना आधार पर विभिन्न प्रवर्गों के आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा । अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा । लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे ।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय "रोजगार एवं निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जाएगा । लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा ।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है ।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात, आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति सहित आयोग कार्यालय में डाक द्वारा प्रेषित करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

ग्यारह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि आवेदक का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। आवेदक द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

बारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देंखें :-

(1) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-1

(2) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट -2

सचिव

(एक) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा मे अनुज्ञेय छूट

(1) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-08/2016/3-एक, दिनांक 12.05.2017 द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा मे निम्नानुसार छूट प्रदान की गयी है :-

| क्रमांक | आवेदक | मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा (वर्ष में) |
|---|---|---|
| 1. | पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 28+12=40 |
| 2. | महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 28+17=45 |
| 3. | पुरुष/ महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) | 28+17=45 |
| 4. | पुरुष/ महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर)) | 28+17=45 |
| 5. | पुरुष/ महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) | 28+17=45 |

**टीप:** (1) जिन पदों में किसी आरक्षित श्रेणी हेतु पद आरक्षित नही है उन पदों में उस आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु विचारित किया जाएगा तथा उन्हें संबन्धित श्रेणी को देय आयु सीमा की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

**(2) प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति मे अधिकतम आयु सीमा मे छूट प्राप्त नहीं होगी**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है "मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) मे यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूटें

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप:- (1) परिशिष्ट -1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से २) (दो) (1 एवं 2) मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटो को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. **www.mponline.gov.in**
2. **www.mppsc.com**
3. **www.mppsc.nic.in**

2- आवेदक **mponline** के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें की भुगतान हो चुका है। **mponline** के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in, www.mppsc.com** तथा **www.mppsc.nic.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3- आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। **mponline** के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र **submit** करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन **submit** करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

**अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।**

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **16.08.2017** से **11.09.2017** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चा

तवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क रु. 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 250 निर्धारित है अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

**ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।**

9- आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

(1) आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** के **Download Formate** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छाया प्रति करायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही है (त्रुटि होने पर विहित अवधि मे त्रुटि सुधार कर लें **(देखें परिशिष्ट-2 बिन्दु-8)**। ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्यों की उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा) । आवेदक अपने अभिलेख उपयुक्त लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें। लिफाफे पर निम्नांकित प्रविष्टि अवश्य दर्ज करें ।

| | |
|---|---|
| विज्ञापन क्रमांक 04/2017 दिनांक 31.07.2017 | |
| पद का नाम - -----------------------, संस्कृति विभाग | |
| के पद हेतु आवेदन पत्र | |
| | प्रति, |
| | **सचिव** |
| **प्रेषक:** | मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, |
| आवेदक का नाम | रेसीडेंसी एरिया |
| तथा पता | **इंदौर** (मध्य प्रदेश) पिन - 452001 |

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/ विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अलग-अलग पद हेतु आवेदन अलग-अलग लिफाफे में भेजे)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन पत्र दिनांक **21.09.2017** को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जायेगा। आवेदन पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय **(प्रातः 10:30 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक)** आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जायेगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10- विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जायेंगे । अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र आयोग को प्रेषित करें। डाक विभाग की त्रुटि से यदि आवेदन पत्र विलंब से प्राप्त होता है तो आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

11- आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- आवेदन शुल्क

| मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु | शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु |
|---|---|
| रु. 250/- | रु.500/- |
| उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त कियोस्क के माध्यम से आवेदन भरने पर शुल्क रु. 40/- (GST सहित) देय होगा । | |

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो **mponline** से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते है :-

हेल्पलाइन - 0755-4019400

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983
एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026 हेल्पलाइन - 0755-4019400

3- आवेदन की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **09.09.2017** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

(ब) स्वप्रमाणित अभिलेखों सहित आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि **21.09.2017** (सायं 5:30 बजे तक) है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जायेगें तथा जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

**4- आवेदक आयोग को प्रेषित किए जाने वाले आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि ।

अनुभव प्रमाण पत्र :- विज्ञापित अनारक्षित पदों हेतु अनुभव अनिवार्य तथा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों हेतु प्राथमिकता प्रदान करने वाली अर्हता है । अभ्यर्थियों को अनुभव निम्न प्रारूप में अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसकी स्वप्रमाणित प्रति अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक है :-

**प्रमाण-पत्र जारीकर्ता/ विभाग का नाम**

क्रमांक--------/2017 दिनांक ---------

**अनुभव प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु. ------------------------पिता/पति श्री ----------------------निवासी --------------हैं। उन्होंने अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन संग्रहालय एवं पुरातत्व के क्षेत्र में ------------------पद पर दिनांक -----------से दिनांक ------------तक कुल अवधि --------वर्ष -----माह------दिन तक कार्य किया है। इस प्रकार इन्हें:-

(अ) संग्रहालय एवं पुरातत्व के क्षेत्र में कार्य का अपेक्षित अनुभव है।

(ब) अभिलेखागार विभाग में अभिलेखों के संरक्षण का अपेक्षित अनुभव है।

(संबन्धित को ✓ करें)

यह प्रमाण-पत्र उक्त कर्मचारी/ व्यक्ति के वेतन भत्तों के आधार पर कार्यालयीन अभिलेखानुसार जारी किया जा रहा है।

मैं इनके उज्वल भविष्य की कामना करता/ करती हूं।

//हस्ताक्षर//

स्थान:- ------------- सक्षम विज्ञप्ति अधिकारी/

दिनांक:- ------------ विभागाध्यक्ष, मय संस्थान के /

शासन के विभाग की पदमुद्रा सहित

**(यह प्रमाण-पत्र शासन के विभाग/ संस्थान के लेटरहेड पर जारी किया जाय)**

<u>पुरातत्व में पत्रोपाधि तथा प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में अनुसंधान कार्य के प्रमाण-पत्रः-</u> उपरोक्त प्रमाण-पत्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी होने चाहिए तथा अनुसंधान के विषय एवं क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए

<u>शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र :-</u> यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए । इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

<u>जाति के प्रमाण-पत्र :-</u> अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |

**<u>अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगें।</u>** इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

**<u>घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप</u>**

मैं ---------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक **<u>02/2017 दिनांक 31.07.2017</u>** के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मै -----------------पुत्र/पुत्री श्री------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-------------जिला ------------,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मै ---------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक , भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2013 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर..............................

नाम.......................................

रोल नंबर -----------------

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (**Undertaking**) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6- अनुशासनिक निर्देश :- (लिखित परीक्षा संबंधी अनुदेश लिखित परीक्षा की स्थिति में)

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा करते हुये अपने साथ ले गया हों।

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनर्हतायें:- ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगें :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनज़ाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी है तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हों।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा । इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, स्वयं के बैंक खाते का नम्बर, एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा ।